

<p>महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना (म.प्र.) पत्रांक: भंडार/18/381 दिनांक 28/06/18</p> <p style="text-align: center;"><u>नीलामी सूचना</u></p> <p>विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निम्नप्रयोज्य घोषित कर दी गई सामग्रियों की नीलामी बावत इच्छुक संस्थाओं/ठेकेदारों से सील बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। विवरण निम्नानुसार है:-</p>			
क्र.	विवरण	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर राशि
1.	डम्कर, स्पेसियो, कार एवं मोटर साइकिलें (तृतीय आमंत्रण)	1000/-	20,000/-
2.	केन्द्रीय भंडार की सामग्रियाँ (द्वितीय आमंत्रण)	100/-	200/-
<p>निविदा के संबंध में विस्तृत सूचना क्रय विभाग, एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 02.07.18 से 23.07.18 तक कार्यालयीन समय में क्रय विभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 23.07.18 अपरान्ह 3.00 बजे है निविदा उसी दिन सायं 4.00 बजे खोली जायेगी।</p> <p style="text-align: center;">फोन.07670-265614 Website: mgcgchitrakoot.com कुलसचिव</p>			

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना (म0प्र0)
अप्रयोज्य वाहनों की बिक्री निविदा (तृतीय आमंत्रण)

पत्रांक:—भंडार / 18 / 381

दिनांक: 28 / 06 / 2018

- (अ) निविदा प्रपत्र दिनांक 02 / 07 / 2018 से 23 / 07 / 2018 को दोपहर 1.00 तक क्रय विभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- मुहरबंद निविदाये जमा करने कि अंतिम तिथि 23 / 07 / 2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक है।
 - मुहरबंद निविदाये जमा करने का स्थान क्रय विभाग, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (म0प्र0) है।
 - निविदा खुलने की तिथि 23 / 07 / 2018 को समय अपरान्ह 4.00 बजे है।

(ब) निविदा प्रपत्र कि प्राप्ति:—

निविदा प्रपत्र कुलसचिव, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (म0प्र0) के कार्यालय से रूपया 1000 /—का नगद भुगतान करके किसी भी कार्यदिवस में बिन्दु (अ) अनुसार क्रय किया जा सकता है।

(स) निविदाये जमा करना:—

- (1) मुहरबंद निविदाये क्रय विभाग, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (म0प्र0) में रखे निविदा बाक्स में स्वयं या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 23 / 07 / 2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक अवश्य जमा हो जानी चाहिए।
- (2) विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदायों को न तो स्वीकार किया जायेगा और न ही उन पर विचार किया जायेगा। डाक में विलम्ब के लिये विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा एवं निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (3) किसी भी कारण से निविदा के विलम्ब से पहुंचने का दायित्व स्वयं निविदा दाता का होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन पर इसका कोई दावा नहीं होगा।

(द) निविदाये खुलना:—

- (1) दिनांक 23 / 07 / 2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त मुहरबंद निविदाओं जो कि निविदा बाक्स / डाक से प्राप्त हुई है, को दिनांक 23 / 07 / 2018 अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।
- (2) यदि निविदा दाता उपस्थित नहीं होते तो भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर निविदाये खोल दी जाएगी।

(य) जमानत राशि:—

- (1) प्रत्येक निविदा के साथ मुहरबंद निविदा के अन्दर राशि रूपया 20,000 /— का बैंक ड्राफ्ट / अथवा बैंकर्स चेक के रूप में अवश्य संलग्न होनी चाहिए।
- (2) बैंक ड्राफ्ट / अथवा बैंकर्स चेक कुलसचिव, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (म0प्र0) के नाम पर बना होना चाहिए।
- (3) बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (4) निविदा स्वीकृति हो जाने पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर धनराशि जमा कर सामग्री न प्राप्त किये जाने पर जमानत राशि जब्त की जा सकती है।

(र) धनराशि जमा करना:—

- (1) जिस निविदा दाता की निविदा स्वीकृत कर जी जाएगी उन्हें दस दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करनी होगी।
- (2) दस दिन के अन्दर यदि धनराशि जमा नहीं की जाती तो विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकार होगा कि उस निविदा दाता की निविदा निरस्त करदे अथवा यदि विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो समय मे वृद्धि कर सकता है।

(ल) सामग्री प्राप्त करना:—

स्वीकृत निविदा की सम्पूर्ण धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर देने की तिथि के तीन दिन के अंदर निविदा दाता को सामग्री विश्वविद्यालय से उठा लेनी होगी।

(व) अन्य शर्तें:—

1. सामग्री जहां जिस स्थिति मे है उसी स्थिति में उसी स्थान से प्राप्त करना होगा।
2. कय कर्ता को समस्त शासकीय कर अक्ट्राय, चूँगी इत्यादि स्वयं वहन करना होगा।
3. सामग्री बिक्री के सम्बन्ध में महात्मा गॉंधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विनियमों एवं म.प्र. शासन के कय भंडार नियम 2015 प्रभावशील होंगें।
4. मुहरबंद लिफाफे के उपर साफ अक्षरों में (अप्रयोज्य वाहनों के लिए निविदा) अवश्य लिख होना चाहिए।
5. विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी एक अथवा अन्य समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. विश्वविद्यालय प्रशासन को निविदा कि शर्तों में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
7. अधिकतम मूल्य वाली निविदा को स्वीकृत अथवा न करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।
8. विश्वविद्यालय प्रशासन के पास अंमित समय में किसी भी सामग्री के विक्रय को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तथा समस्त विवाद सतना न्यायालय के अधीनस्थ होंगे।
10. निविदा की दरे साफ—साफ बिना कटिंग के शब्दों अथवा अंको में लिखी जानी चाहिए अस्पष्ट एवं अपठित होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
11. निविदा मूल्य के अतिरिक्त निविदा दाता को म.प्र. शासन के नियमानुसार GST एवं अन्य कर यदि कोई लागू होगा उसको भी सामग्री उठाने से पूर्व जमा करना होगा।

नोट:—बिक्री की जाने वाली सामग्रियों की सूची एवं उनकी अनुमानित मात्रा संलग्न है।

कुलसचिव

महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना (म0प्र0)

वित्तीय निविदा

इस निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों के पालन की वचन बद्धता करते हुए मेरे द्वारा यह वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जा रही है। सामग्रियों की भौतिक स्थिती के अनुसार समस्त/या किसी एक सामग्रियों का क़य करने वावत मै निम्नानुसार वाहन/मोटर साइकिल क़य करने वावत दरे अंकित कर रहा हूँ।

क्रमांक	वाहन का प्रकार एवं विवरण	संख्या	आफसेट मूल्य	निविदत्त मूल्य
1	डम्पर MP19/A0146	01 नग	2,50,000 / -	
2	स्पेसियो MP19/D-7062	01 नग	60,000 / -	
3	एम्बेसडर कार MP19CA-0592	01 नग	50,000 / -	
4	मोटर साइकिल MP19-B0183	01 नग	1,500 / -	
5	मोटर साइकिल लाल कलर	01 नग	1,500 / -	

निविदा कर्ता
(सील/मुहर)

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना (म0प्र0)

केन्द्रीय भंडार की अप्रयोज्य की सामग्रियों की बिक्री निविदा

पत्रांक:—भंडार/18/381

दिनांक: 28/06/2018

(अ) निविदा प्रपत्र दिनांक 02/07/2018 से 23/07/2018 दोपहर 1.00 बजे तक क्रय विभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं।

- मुहरबंद निविदाये जमा करने कि अंतिम तिथि 23/07/2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक है।
- मुहरबंद निविदाये जमा करने का स्थान क्रय विभाग, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (म0प्र0) है।
- निविदा खुलने की तिथि 23/07/2018 को समय अपरान्ह 4.00 बजे है।

(ब) निविदा प्रपत्र कि प्राप्ति:—

निविदा प्रपत्र कुलसचिव, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (म0प्र0) के कार्यालय से रूपया 100/—का नगद भुगतान करके किसी भी कार्यदिवस में बिन्दु (अ) अनुसार क्रय किया जा सकता है।

(स) निविदाये जमा करना:—

- (1) मुहरबंद निविदाये क्रय विभाग, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (म0प्र0) में रखे निविदा बाक्स में स्वयं या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 23/07/2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक अवश्य जमा हो जानी चाहिए।
- (2) विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदायों को न तो स्वीकार किया जायेगा और न ही उन पर विचार किया जायेगा। डाक में विलम्ब के लिये विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा एवं निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (3) किसी भी कारण से निविदा के विलम्ब से पहुंचने का दायित्व स्वयं निविदा दाता का होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन पर इसका कोई दावा नहीं होगा।

(द) निविदाये खुलना:—

- (1) दिनांक 23/07/2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त मुहरबंद निविदाओं जो कि निविदा बाक्स/डाक से प्राप्त हुई है, को दिनांक 23/07/2018 अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।
- (2) यदि निविदा दाता उपस्थित नहीं होते तो भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर निविदाये खोल दी जाएगी।

(य) जमानत राशि:—

- (1) प्रत्येक निविदा के साथ मुहरबंद निविदा के अन्दर राशि रूपया 200/— का बैंक ड्राफ्ट/अथवा बैंकर्स चेक के रूप में अवश्य संलग्न होनी चाहिए।
- (2) बैंक ड्राफ्ट/अथवा बैंकर्स चेक कुलसचिव, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना (म0प्र0) के नाम पर बना होना चाहिए।
- (3) बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (4) निविदा स्वीकृति हो जाने पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर धनराशि जमा कर सामग्री न प्राप्त किये जाने पर जमानत राशि जब्त की जा सकती है।

(र) धनराशि जमा करना:-

- (1) जिस निविदा दाता की निविदा स्वीकृत कर जी जाएगी उन्हें दस दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करनी होगी।
- (2) दस दिन के अन्दर यदि धनराशि जमा नहीं की जाती तो विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकार होगा कि उस निविदा दाता की निविदा निरस्त करदे अथवा यदि विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो समय मे वृद्धि कर सकता है।

(ल) सामग्री प्राप्त करना:-

स्वीकृत निविदा की सम्पूर्ण धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर देने की तिथि के तीन दिन के अंदर निविदा दाता को सामग्री विश्वविद्यालय से उठा लेनी होगी।

(व) अन्य शर्तें:-

1. सामग्री जहां जिस स्थिति मे है उसी स्थिति में उसी स्थान से प्राप्त करना होगा।
2. क़य कर्ता को समस्त शासकीय कर अक्द्राय, चूँगी इत्यादि स्वयं वहन करना होगा।
3. सामग्री बिक्री के सम्बन्ध में महात्मा गॉंधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विनियमों एवं म.प्र. शासन के क़य भंडार नियम 2015 प्रभावशील होंगे।
4. मुहरबंद लिफाफे के उपर साफ अक्षरों में (अप्रयोज्य वाहनों के लिए निविदा) अवश्य लिख होना चाहिए।
5. विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी एक अथवा अन्य समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. विश्वविद्यालय प्रशासन को निविदा कि शर्तों में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
7. अधिकतम मूल्य वाली निविदा को स्वीकृत अथवा न करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।
8. विश्वविद्यालय प्रशासन के पास अंमित समय में किसी भी सामग्री के विक्रय को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तथा समस्त विवाद सतना न्यायालय के अधीनस्थ होंगे।
10. निविदा की दरे साफ-साफ बिना कटिंग के शब्दों अथवा अंको में लिखी जानी चाहिए अस्पष्ट एवं अपठित होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
11. निविदा मूल्य के अतिरिक्त निविदा दाता को म.प्र. शासन के नियमानुसार GST एवं अन्य कर यदि कोई लागू होगा उसको भी सामग्री उठाने से पूर्व जमा करना होगा।

नोट:-बिक्री की जाने वाली सामग्रियों की सूची एवं उनकी अनुमानित मात्रा संलग्न है।

कुलसचिव

(र) धनराशि जमा करना:-

- (1) जिस निविदा दाता की निविदा स्वीकृत कर जी जाएगी उन्हें दस दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करनी होगी।
- (2) दस दिन के अन्दर यदि धनराशि जमा नहीं की जाती तो विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकार होगा कि उस निविदा दाता की निविदा निरस्त करदे अथवा यदि विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो कुछ समय और बढ़ा सकता है।

(ल) सामग्री प्राप्त करना:-

स्वीकृत निविदा की सम्पूर्ण धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर देने की तिथि के तीन दिन के अंदर निविदा दाता को सामग्री विश्वविद्यालय से उठा लेनी होगी।

(व) अन्य शर्तें:-

1. सामग्री जहां जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसी स्थान से प्राप्त करना होगा।
2. क़य कर्ता को समस्त शासकीय कर अक्टूराय, चूँगी इत्यादि स्वयं वहन करना होगा।
3. सामग्री बिक्री के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विनियमों एवं म.प्र. शासन के क़य भंडार नियम 2015 प्रभावशील होंगे।
4. मुहरबंद लिफाफे के उपर साफ अक्षरों में (केन्द्रीय भंडार की सामग्रियों के लिए निविदा) अवश्य लिख होना चाहिए।
5. विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी एक अथवा अन्य समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. विश्वविद्यालय प्रशासन को निविदा कि शर्तों में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
7. अधिकतम मूल्य वाली निविदा को स्वीकृत अथवा न करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।
8. विश्वविद्यालय प्रशासन के पास अंमित समय में किसी भी सामग्री के विक्रय को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तथा समस्त विवाद सतना न्यायालय के अधीनस्थ होंगे।
10. निविदा की दरे साफ-साफ बिना कटिंग के शब्दों अथवा अंको में लिखी जानी चाहिए अस्पष्ट एवं अपठित होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
11. निविदा मूल्य के अतिरिक्त निविदा दाता को म.प्र. शासन के नियमानुसार GST एवं अन्य कर यदि कोई लागू होगा उसको भी सामग्री उठाने से पूर्व जमा करना होगा।

नोट:-बिक्री की जाने वाली सामग्रियों की सूची एवं उनकी अनुमानित मात्रा संलग्न है।

कुलसचिव

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना (म0प्र0)

वित्तीय निविदा

इस निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों के पालन की वचन बद्धता प्रदान करते हुए यह वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जा रही है। सामग्रियों की भौतिक स्थिती के अवलोकन पश्चात सामग्री क्रय बावत दरे अंकित कर रहा हूँ।

क्रमांक	सामग्री का नाम	संख्या
01	सील पीतल	01 नग
02	स्टेप्लर 10 नम्बर	01 नग
03	टेलीफोन कवर	02 नग
04	ट्यूब लाइट	01 नग
05	रैगजीन चार्ट	09 नग
06	वर्टिकल पम्प	01 नग
07	पलंग	14 नग
08	प्लास्टिक कुर्सी	01 नग
09	सीलिंग फैन	01 नग
10	पंचिंग मशीन सिंगल	01 नग
11	कलकुलेटर	03 नग

निविदा कर्ता के हस्ताक्षर